



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244611
CG-DL-E-23032023-244611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1332]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945

No. 1332]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1385(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा, अलवर, राजस्थान, जिला— अलवर को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के अलवर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम— अलवर

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट / खसरा संख्या	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अलवर	नीमराना	मांडण	366	0.2109	कृषि
2				367	0.3121	कृषि
3				368	0.0844	कृषि
4				365	0.3848	कृषि
5				353	0.0053	कृषि
6				364	0.0712	कृषि
7				356	0.0206	कृषि
8				357	0.3206	कृषि
9				358	0.0955	कृषि
10				359	0.1390	कृषि
11				361	0.0024	कृषि
12				360	0.3750	कृषि
13				302	0.5496	कृषि
14				348	0.0290	कृषि
15				303	0.1944	कृषि
16				301	0.0464	कृषि
17				304	1.3462	कृषि
18				306	0.9487	कृषि
19				284	0.3433	कृषि
20				310	0.1234	कृषि
21				323	0.1138	रास्ता
22				306 / 2186	0.0111	रास्ता
23				306 / 2167	0.0263	कृषि
24				305	0.0115	कृषि
25				307	0.0165	कृषि
26				56	0.6975	कृषि
27				57	0.1827	कृषि
28				59 / 2185	0.0144	कृषि
29				58	0.1336	कृषि
30				59	0.5706	कृषि
31				67	0.4610	कृषि
32				69	0.7209	कृषि
33				70	0.2475	कृषि
34			काटुवास	713	0.0010	कृषि
35				718	0.1195	कृषि
36				725	0.2629	कृषि
37				727	0.2196	कृषि

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट / खसरा संख्या	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38				751	0.2217	कृषि
39				749	0.0193	कृषि
40				748	0.2449	कृषि
41				750	0.1627	कृषि

[फा. सं. 2023/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2387]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2023

S.O. 1385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Alwar in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer (Upkhand Adhikari), Nimrana, Rajasthan, District- Alwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district Alwar in the State of Rajasthan.

Name of the District- Alwar

Serial Number	District	Tehsil	Village	Plot/ Khasra Number	Proposed Area (Hectare)	Nature of land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alwar	Neemrana	Mandan	366	0.2109	Agriculture
2				367	0.3121	Agriculture
3				368	0.0844	Agriculture
4				365	0.3848	Agriculture
5				353	0.0053	Agriculture
6				364	0.0712	Agriculture
7				356	0.0206	Agriculture
8				357	0.3206	Agriculture
9				358	0.0955	Agriculture
10				359	0.1390	Agriculture

Serial Number	District	Tehsil	Village	Plot/ Khasra Number	Proposed Area (Hectare)	Nature of land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11				361	0.0024	Agriculture
12				360	0.3750	Agriculture
13				302	0.5496	Agriculture
14				348	0.0290	Agriculture
15				303	0.1944	Agriculture
16				301	0.0464	Agriculture
17				304	1.3462	Agriculture
18				306	0.9487	Agriculture
19				284	0.3433	Agriculture
20				310	0.1234	Agriculture
21				323	0.1138	Road
22				306/2186	0.0111	Road
23				306/2167	0.0263	Agriculture
24				305	0.0115	Agriculture
25				307	0.0165	Agriculture
26				56	0.6975	Agriculture
27				57	0.1827	Agriculture
28				59/2185	0.0144	Agriculture
29				58	0.1336	Agriculture
30				59	0.5706	Agriculture
31				67	0.4610	Agriculture
32				69	0.7209	Agriculture
33				70	0.2475	Agriculture
34				713	0.0010	Agriculture
35				718	0.1195	Agriculture
36				725	0.2629	Agriculture
37				727	0.2196	Agriculture
38				751	0.2217	Agriculture
39				749	0.0193	Agriculture
40			Kathuwas	748	0.2449	Agriculture
41				750	0.1627	Agriculture

[F. No. 2023/LML-II/12/1/WC/2387]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)